

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No. 10Dated 19-12-2014

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.665 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Jasoli-Kanda Motor Road Under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Kanda** village (s) in **Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

- (g) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ~~0.66~~ hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ~~1~~ to ~~2~~ annexure....
- (h) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoermment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (i) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

Raghu
Signature

जिला दफ्तारी

रुद्रप्रयाग

ANNEXURE....

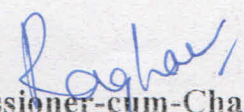
**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langar I.A.S deputy commissioner Rudraprayag on date 19/12/14.. at timeat Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 2.7825 hect for the construction of Jasoli-Latu Devta-Bhunka motor road (5.00 Km) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated:.....


Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -----

तहसील रुद्रप्रसाद, जिला रुद्रप्रसाद

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला रुद्रप्रसाद उत्तराखण्ड में

जसोली काण्डा परियोजना के निर्माण हेतु

(हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.245 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.420 हे0, वन पंचायत भूमि हे0) अर्थात् कुल 0.665 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत काण्डा द्वारा दिनांक 12-12-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी जज्जा किसी भी आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काण्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

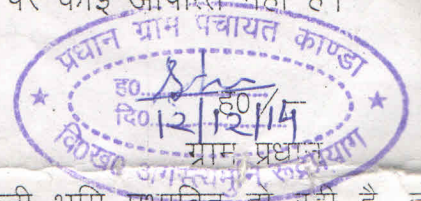
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / -

ग्राम सचिव

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।



प्रपत्र-23.1

दिनांक 12-12-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत कावडा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेश चन्द	राजेश चन्द
	पुनम देवी	पुनम देवी
	देवेश्वरी देवी	देवेश्वरी देवी
	मंगला देवी	मंगला देवी
	रमेश चन्द	रमेश चन्द
	मोहन प्रसाद	मोहन प्रसाद
	सुभाष चन्द	सुभाष चन्द
	देवेश्वरी प्रसाद	देवेश्वरी प्रसाद
	रामेश्वरी देवी	रामेश्वरी देवी
	सुनिता देवी	सुनिता देवी
	वलसी राम	वलसी राम
	प्रमोद क	प्रमोद क
	श्रीदाश्वरी देवी	श्रीदाश्वरी देवी
	साधुवरी देवी	साधुवरी देवी

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जसोली-काण्डा मो. मार्ग का निर्माण ल० :- 2.0 किमी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, रुद्रप्रयाग

उपखण्ड रुद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत

(0.245 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.420 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि
..... हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.665 हे० वन भूमि) का वैक निर्माण विभाग
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय
समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक 15-12-14 को सम्पन्न बैठक की
कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
की बैठक श्री चर सिंह चौधरी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति
निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1- | श्री <u>चर सिंह चौधरी</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>जन्म शर्मा</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- | श्री <u>सी. पी. देवराज</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य / सचिव |
| 4- | श्री <u>हर्षवर्धन भट्ट</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | सदस्य |
| | <u>देवराज लाल</u> | | <u>देवराज लाल</u> |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

जसोली-काण्डा मो. मार्ग का निर्माण ल० :- 2.0 किमी०

परियोजना हेतु 0.665 हे० वन

भूमि

प्रा० रु० लो० नि० वि० रुद्रप्रयाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय
सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं
है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर
सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, _____ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड _____ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जसोली - काठवा - मो. मार्ग ला. 2.00 km परियोजना के निर्माण हेतु 0.665 हे० वन भूमि ली. नि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- _____

जनपद _____

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, _____ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- _____

जनपद _____

"समझौता ज्ञापन"

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिराष्टी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नामभूनिधर जिनकी भूमि जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज दिनांक 12-12-2014 को निष्पादित किया गया है।

1. यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
2. यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूनिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
3. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

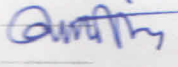
इसके अतिरिक्त स्वयं पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अविलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

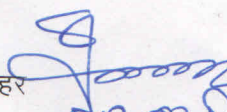
नाम भूनिधर

हस्ताक्षर


अधिराष्टी अभियन्ता
प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग

नाम	हस्ताक्षर
1. <u>हेमेश्वर (हमेश)</u>	
2. <u>गुलशन</u>	
3. <u>श्यामल</u>	
4. <u>रमेश चन्द</u>	
5. <u>राजेश सिंह</u>	
6. <u>मोहन सिंह</u>	
7. <u>मोहन सिंह</u>	
8. <u>मोहन सिंह</u>	
9. _____	
10. _____	
11. _____	
12. _____	
13. _____	
14. _____	
15. _____	
16. _____	
17. _____	
18. _____	
19. _____	
20. _____	
21. _____	
22. _____	
23. _____	
24. _____	
25. _____	

पटवारी / ह0 / मोहर


20 12 2014

नाप भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०) के निर्माण हेतु जो नाप भूमि अर्जित की जानी है, उस हेतु हम नापभूमिधरों को कोई आपत्ति नहीं है तथा हम अपनी भूमि विभागीय दलों पर देने हेतु सहर्ष सहमत हैं।

क्र० सं०	भूमिधरों का नाम	खसरा नं०	अर्जित की जानी वाली भूमि का क्षेत्रफल है० में०	हस्ताक्षर
	तुलसीराम	311167 311177	0.070	
	भाया राम	311178		
	शंकरा चन्द			
	प्रोद्दा प्रसाद			
	शुक्ला प्रसाद			
	देवश्वर प्रसाद			
	भगवती प्रसाद	16/1034 16/1035	0.0041	
	जगत राम	24/984 24/985	0.061	
	शिव प्रसाद	3/544 3/545	0.020	
	दिनेश चन्द्र	9/3989/399	0.117	
	हरीश चन्द्र			

हस्ताक्षर

राजस्व उपनिरीक्षक